



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgr1@gmail.com

पत्रांक – 2186 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 2 / 11 / 2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग मार्ग 0.772 हे० का निर्माण। FP/UK/ROAD/12313/2015

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक शून्य दि. 05.10.2017।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रके क्रम में अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/12313/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-


Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	In reply to point no. 3, location of dumping yard in muck disposal plan is still shown in napp land as well as civil land but in component wise breakup at B 2.4 in part-I, the muck disposal shown only on forest land.	Muck disposal point located in Civil Land. In component wise break up at B 2.4 in Part-I the muck disposal shown only on forest land because in B 2.4 there is no any option of Civil Land.
2	In relpy to point no. 4, 24 geo-cordinates shown in Km 8 road. State Govt. is once again requested to submit geo-referenced difital map showing geo-coordinates at 200m-300m interival and upload the same after authenticated by DFO.	New Geo- reference map showing geo-coordinates at 200m-300m interival and upload in Part-I (K) and additional information.
3	It is mentioned that the administrative approval has been obtained for 8 Km length but the present proposal is prepared for 1.50 Km length only upto Saikot due to objections raised by the villagers of Bandu. State Govt. may also clarify if the proposal for road to Bandu is dropped/abandoned.	घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग 8.00 किमी. लम्बाई में स्वीकृत प्राप्त है। किन्तु ग्राम बैन्दू पूर्व से ही नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से संयोजित हाने के कारण ग्राम बैन्दू के ग्रामीणों द्वारा अपनी नापभूमि देने पर सहमति नहीं दी गयी है। इसलिये मात्र ग्राम घुड़साल मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 1.50 किमी. लम्बाई में वनभूमि का प्रस्ताव गठित किया गया है।
4	In reply to point no. 5 correct copy of map indicating alternative examined is still not provided at D (ii) a in part-I	correct copy of map indicating alternative examined provided at D(ii) & additional information also a sofy attached.

5	In reply to point no. 6, details of employment likely to be generated is still incorrect at para-E part-I online.	Correct employment detail uploaded in para - E Part-I
6	In reply to point no. 7, correction made in FRA but not countersigned by District Magistrate.	Correct FRA copy attached. In Part-I (K) and & additional information also a copy attached.
7	In reply to point no. 10, not applicable mentioned in details of wildlife which may be revised.	-
8	Original hard copy of the above mentioned document may also be provided.	Original hard copy is provided.
9	Density is mentioned as 0.2 in on line part- II but density mentioned is 0.5 in NPV calculation sheet. Hence density is required to be reviewed for correct NPV rate.	-

सलंगन – उपरोक्तानुसार सूचना।

 2-11-17
अधिशायी अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

जीयोरेफेरेंस मैप - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि०मी० + 36 मीटर स्पान स्टील गार्डर हेतु)



अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोरेखर

सहस्रमक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० ७४४८००
गोरेखर

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० ७४४८००
गोरेखर (चमोली)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.


A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 10-3-2015 at time 12:00 hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.772 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10-3-15.

Signature


(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

6

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

to:- Camp

Dated :- 10-03-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.772 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (Length 1.50 Km) at Dasoli Block in District Chamoli (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.772 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

m

(District Magistrate)

District Magistrate Chamoli

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 10.7.2015 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वानाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 7.8.15

को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वानाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|---------|------------------|----------------------------|------------|
| 1- श्री | अवधेश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री | रुखमणी देवी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री | आर. एम. खन्ना | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री | सुनीता देवी | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 10.7.2015 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

10/03/2015
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन क्षेत्र अधिकारी
रुखमणी देवी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
सुनीता देवी
(सुनीता देवी)
बी.डी.सी. क्षेत्र
विकास खण्ड दशोली (चमोली)

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772-हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.772-हे0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.772-हे0 सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र -23.1

दि. 03/03/15 को ग्राम सभा सैकोट की बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राकेश लाल (नेहा)	
	हरीश पवार	हरीश पवार
	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
	सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
	सुन्दर लाल	
	शिव प्रसाद पुरोहित	शिव प्रसाद
	शीर देवी	शीर देवी
	प्रभाद सती	प्रभाद
	सुबोध सती	
	दिनेश प्रसाद व्यालीमाल	
	महेन्द्र लाल	महेन्द्र लाल
	रमेश लाल	रमेश लाल
	दर्शन सिंह गुसाई	दर्शन सिंह
	मनोप	मनोप
	महेन्द्र सिंह पवार	
	सल्लेन्द्र	सल्लेन्द्र
	प्रकाश लाल	प्रकाश लाल
	गिरिश लाल	गिरिश लाल
	दिनेश लाल	दिनेश लाल
	एलवारु लाल	एलवारु लाल
	कुलदीप सिंह पवार	कुलदीप
	शकुल सिंह रावत	शकुल सिंह
	वंशी लाल	वंशी लाल
	भुन्दरी लाल	भुन्दरी लाल
	भुसार लाल	भुसार लाल
	विनायक लाल	विनायक लाल



दि. 02/03/2015 को ग्राम सभा सुइताल की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिशुपालसिंह	
2	हरीशचन्द्र	
3	रामचन्द्रसिंह	
4	मातवरसिंह	
5	मनवरसिंह	
6	पदीपसिंह	
7	बलवीरसिंह	
8	तिलोकसिंह	
9	कुंवरसिंह	
10	मोहनसिंह	
11	दरवानासिंह	
12	मनपसिंह	
13	विनोदलाल	
14	नन्दसिंह	
15	मकतसिंह	
16	तिलोकसिंह सली	
17	नारायणसिंह	
18	बुर्गसिंह	
19	जगदीशलाल	
20	नरैन्द्रसिंह	